राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक:प.8(ग)( )नियम/डीएलबी/18/26480-26672 जयपुर, दिनांक: 22/04/2019

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम /परिषद/पालिकाएं,
समस्त राजस्थान।

विषयः— शहरी क्षेत्रों को आवारा पशुओं से मुक्त कराने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय परिपत्र क्रमांक 2115 दिनांक 31.01.17 एवं दिनांक 28.06.18 से शहरी क्षेत्रो को आवारा पशुओं से मुक्त कराने हेतु नगरीय निकाय क्षेत्रो में आवारा पशुओं को सार्वजनिक स्थानो/आम रास्तो से पकड कर कांजी हाऊस में निरूद्ध करने तथा निर्धारित जुर्माना राशि वसूल किये बिना पशुओं का नहीं छोडा जाने एवं छोडने से पहले ऐसे पशुओं की टैगिंग कराई जानें और यदि टैगिंग किये गये पशु दोबारा पकडे जाते है तो, उनसे दोगुनी जुर्माना राशि वसूल करने के आदेश दिये गए थे।

इस सबंध में दिनांक 12.04.19 को मुख्य सचिव महोदय द्वारा बैठक आयोजित कर नगरीय क्षेत्रों को आवारा पशुओं एवं डेयरी से पूर्णतया मुक्त करने हेतु दिशा—निर्देशों की पालना रिपोर्ट चाही गई है।

इस संदर्भ में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 248 में यह प्रावधित है कि (1) यदि कोई ढोर, घोडा, सुअर, कुत्ता या अन्य चौपाया पशु या पक्षी, इस अध्याय के उपबंधों के उल्लंघन में किसी भूमि या परिसर में रखा जाता है या किसी मार्ग या सार्वजनिक स्थान पर घूमता हुआ या भटका हुआ या रस्सी से बंधा हुआ पाया जाता है या जनता के लिए उत्पात या खतरा कारित करता हुआ पाया जाता है तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका के किसी अधिकारी या कर्मचारी को ऐस ढोर, घोडा, सुअर, कुत्ता या अन्य चौपाया पशु या पक्षी का अभिग्रहण करने के लिए निर्देश दे सकेगा और उसको ऐसे स्थान पर, परिबद्ध करवायेगा या हटावायेगा और रखवायेगा, जो नगर पालिका द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियत किया जावे, और ऐसे अभिग्रहण और परिबद्ध करने या हटाने और बनाये रखने की लागत ऐसे पशु या पक्षी के विक्रय या, यथास्थिति, नीलाम द्वारा वसूलीय होगी, परन्तु ऐसे पशु या पक्षी का दावा करने वाला कोई व्यक्ति, ऐसे अभिग्रहण के सात दिवस के भीतर, नगर पालिका द्वारा ऐसे पशु या पक्षी का अभिग्रहण, परिबद्ध करने या हटाने या बनाये रखने में उपगत किये गये समस्त व्यय के संदाय पर और उसके दावे के समर्थन में ऐस साक्ष्य प्रस्तुत करने पर, जैसा कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी पर्याप्त समझे उसको छुडा सकेगा।

(2) किसी पशु या पक्षी की उप—धारा (1) के अधीन नीलाम द्वारा विक्रय से प्राप्त आगम को, ऐसे पशु या पक्षी के अभिग्रहण, परिबद्ध करने या हटाने और बनाये रखने और ऐसी विक्रय करवाने के मद्धे उपगत होने वाले व्ययों को पूरा करने में काम में लिया जायेगा, और अधिशेष, यदि कोई हो, मुख्य नगर पालिक अधिकारी द्वारा जमा कर लिया जायेगा और यदि ऐसे पशु या पक्षी के स्वामी द्वारा ऐसे विक्रय की तारीख से नब्बे दिवस की कालावधि के भीतर दावा नहीं किया जाता है तो नगर पालिका निधि में जमा करवा दिया जावेगा।"

अधिनियम के उक्त प्रावधान के अनुरूप किसी भी परिसर में पशु बिना अनुमति के नहीं रखे जा सकते है तथा सार्वजनिक स्थानो/रास्तो पर भी आवारा पशु का विचरण नहीं हो सकता है, जबकि देखने में यह आया है कि आवासीय परिसरो में पशु अवैध रूप से रखे जा रहे है तथा सार्वजनिक स्थानो पर भी आवारा पशु विचरण करते रहते है। इससे आम जनता को काफी असुविधा होती है तथा सार्वजनिक मार्ग पर आवारा पशुओ के विचरण करने से राहगीर चौटिल या दुर्घटना

ग्रस्त हो सकते है, जैसा कि नगर निगम जयपुर क्षेत्र में एक आवारा पशु के कारण एक विदेशी व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु कारित हो चुकी है।

Cattle Tresspass Act, 1871 की धारा 12 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 24.08.16 से नगर निगम जयपुर के लिए तथा अन्य नगर निगमो के लिए अधिसूचना दिनांक 04.09.17 से निम्नानुसार पशुओं को पकडे जाने पर उनकी रिहाई हेतु निम्नानुसार शास्ति निर्धारित की गई है:–

क्र. सं.	पशु का प्रकार	जुर्माना राशि		बुलाई राशि प्रति पशु	चराई राशि प्रति पशु प्रतिदिन
		(First Time)	(Second Time)		
1.	घोडा, घोडी, गाय, बैल, पाडा, पाडी, सांड	5,000/– रू.	10,000/– रू.	500/– रू. प्रति जानवर	100/–रू.
2.	भैस, भैसा, ऊँट, ऊँटनी	5,000/– रू.	10,000/– रू.	500/– रू. प्रति जानवर	150/–रू.
3.	हाथी, हथिनी, व उनके बच्चे	5,000/– रू.	10,000/– रू.	1000/– रू. प्रति जानवर	500/–रू.
4.	बकरा, बकरी, गधा, गधी, खच्चर	250/– रू.		300/– रू. प्रति जानवर	50/–रू.
5.	सुअर, भैड, मेढा, बछडा, बछडी, एवं शेष पशुओं के बच्चे	250/–रू.		300/– रू. प्रति जानवर	30/–रू.

अन्य नगरीय निकायो के लिए पूर्व में निर्धारित पशुओं को पकडे जाने एवं उनकी रिहाई हेतु शास्ति निर्धारित की हुई है।

इस संबंध में आवासीय परिसरो/सार्वजनिक स्थानो से अवैध पशुओ को हटाने के लिये नगरीय निकायो को निम्न निर्देश दिये जाते है:–

1. नगरीय निकायों की सीमा में रिहायशी क्षेत्रों में रखे जा रहे दुधारू पशुओ को चिन्हित किया जाकर नगरीय निकाय की सीमा से बाहर स्थानान्तरित किया जावे। इस हेतु आवश्यकतानुसार पुलिस जाप्ता भी प्राप्त किया जावे तथा यह सुनिश्चित किया जावे कि नगरीय निकाय की सीमा में किसी भी प्रकार की डेयरी संचालित न हो।
2. नगरीय सीमा के आवासीय क्षेत्रों में डेयरी का संचालन एक व्यवसायिक गतिविधि है, जो कि अनुज्ञेय नहीं है। अतःनगरीय निकायों की सीमा के अंदर जिन पशुपालकों द्वारा डेयरी संचालित की जा रही है, उस स्थान से पशुओं को नगरीय निकाय की सीमा से बाहर स्थानान्तरित कर परिसर को सीज भी किया जावे ताकि उस स्थान पर पुनः डेयरी संचालित नहीं हो सके।
3. नगरीय निकाय की सीमा में अवैध डेयरी संचालित होने से सार्वजनिक न्यूसेंस होता है, अतः इस संबंध में पशुपालकों के विरूद्ध सी.आर.पी.सी. की धारा 133 के तहत इस्तगासा भी प्रस्तुत किया जावे।
4. नगरीय निकाय की सीमा में अवैध रूप से डेयरी संचालन, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम में प्रतिबंधित है, अतः अवैध डेयरी संचालित करने वाले पशुपालकों के विरूद्ध संबंधित थाने में एफ0आई0आर0 भी दर्ज करायी जावे।
5. आम रास्तो/सार्वजनिक स्थानो पर विचरण करने वाले आवारो पशुओ को पकडकर नगर निकाय के कांजी हाऊस में भेजा जावे तथा निर्धारित जुर्माना राशि वसूल किये बिना पशुओं को नहीं छोडा जावे एवं छोडने से पहले ऐसे पशुओ की टैगिंग कराई जावे और यदि टैगिंग किये गये पशु दोबारा पकडे जाते है तो उनसे दुगुनी जुर्माना राशि वसूल की जावे।

6. ऐसे नगरीय निकाय जो स्वयं के कांजी हाऊस संचालित कर रहे है, वे कांजी हाऊस के सुचारू संचालन के लिये शहर के उपयुक्त एवं इच्छुक एन.जी.ओ. के माध्यम से यह कार्य कराना सुनिश्चित करावें ताकि कांजी हाऊस में पशुओ की समुचित देखभाल हो सके।
7. यह भी सुनिश्चित किया जावे कि नगर निकाय क्षेत्र में कोई भी पशु डेयरी अवैध रूप से संचालित नहीं की जावे। जिन निकायो में ऐसी अवैध डेयरियो को स्थानान्तरित करने हेतु भूमि चिन्हित कर रखी है, उनमें चिन्हित स्थानो पर ऐसी डेयरियो को अविलम्ब स्थानान्तरित कराया जावे।
8. सभी मुख्य नगरपालिका अधिकारी (आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी) आवारा पशु पकडने वाले अधिकारी/प्रभारी का दायित्व निर्धारित करते हुए प्रति सप्ताह अवरूद्ध किये गये आवारा पशुओं की मॉनिटरिंग (अनुवीक्षण) करेगें तथा उक्त अधिकारी/ प्रभारी द्वारा की गई लापरवाही/उदासीनता पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। उक्त सूचना उप निदेशक (क्षेत्रीय) को सप्ताहिक रूप से भेजी जावेगी। उप निदेशक (क्षेत्रीय) द्वारा ईकजाई साप्ताहिक रिपोर्ट निदेशालय (वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी) को प्रस्तुत करेगे।

इसके अतिरिक्त जिन निकायो में अभी तक स्थान चिन्हित नहीं किये गये है, ऐसे निकाय पशु डेयरियो के स्थानान्तरण के लिये नगर विकास न्यास/जिला कलक्टर के माध्यम से तत्काल उपयुक्त भूमि का आवंटन करवाकर पशु डेयरियो को स्थानान्तरित करने की योजना बनाकर दिनांक 30.05.2019 तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें तथा जिन नगरीय निकायो में कांजी हाऊस नहीं है, वे नगरीय निकाय कांजी हाऊस हेतु भूमि आरक्षित कर, कांजी हाऊस की चारदीवारी स्थाई/अस्थाई निर्माण कर आवारा पशुओं को उक्त कांजी काऊस में अवरूद्ध करेगें।

उपरोक्त संबंध में पालना रिपोर्ट माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एक सप्ताह में प्रस्तुत की जानी है, अतः कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दिया जाना सुनिश्चित करें।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांकःप.8(ग)( )नियम/डीएलबी/18/26673-26950 जयपुर, दिनांकः22/04/2019

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
3. सम्भागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
4. जिला पुलिस अधीक्षक, समस्त राजस्थान।
5. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, समस्त नगर निगम/परिषद/पालिकाएं, राजस्थान।
6. क्षेत्रीय उप निदेशक, स्थानीय निकाय, समस्त राजस्थान।
7. प्रोग्रामर निदेशालय को नेट पर उपलब्ध कराने।
8. सुरक्षित पत्रावली।

(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी